तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दलजीत सिह सैनी बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति संभागीय आयुक्त), जयपुर अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/92	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2025	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ 19(1)(65) RR No 7085/प्रथम अपील/05892/2024/45 दिनांक 06.02.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आर.टी.आई आवेदन दिनांक 12.12.2024 इस कार्यालय में दिनांक 16.12.2024 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र के संदर्भ में इस कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक 724 दिनांक 30.12.2024 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि "आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन शुल्क पोस्टल ऑर्डर तीन वर्ष से पूर्व की अवधि का है। नियमानुसार पोस्टर ऑर्डर जारी किये जाने के माह की अंतिम तिथि से 36 माह बाद प्रस्तुत किये गये पोस्टल ऑर्डर कालातीत होंगे और राजकोष में भुगतान करना संभव नहीं हो सकेगा।" अपीलार्थी द्वारा आवेदन शुल्क का नवीन पोस्टल ऑर्डर संख्या 65F 835149 दिनांक 16.01.2025 प्रस्तुत किये जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक 23 दिनांक 29.01.2025 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि इस कार्यालय में उपलब्ध सूचना 01 पृष्ठ की है। अतः प्रतिलिपि शुल्क 2/– रूपये राजकोष में जमा करावें। अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क 2/– रूपये आदिनांक जमा नहीं कराने के कारण अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं हो सका है। अतः अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी के आर.टी.आई. आवेदन पत्र के साथ संलग्न पोस्टल ऑर्डर तीन वर्ष पुराना होने के कारण नवीन पोस्टल ऑर्डर प्रस्तुत करने हेतु 14 दिन बाद अपीलार्थी को पत्र दिनांक 30.12.2024 जारी किया है एवं नवीन पोस्टल ऑर्डर दिनांक 16.01.2025 प्रस्तुत होने के उपरान्त 11 दिवस बाद प्रतिलिपि शुल्क जारी जमा कराने हेतु पत्र दिनांक 29.01.2025 को पत्र जारी किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने की अवधि 30 दिवस निर्धारित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को उक्त 1 पृष्ठ की सूचना निशुल्क उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । (पूनम) संभागीय आयुक्त जयपुर	